

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग**  
**(श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना)**

कार्यालय आदेश सं०- 20

पटना, दिनांक- 25/06/2026

श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय (सामान्य एवं तकनीकी) में पदस्थापित उच्चवर्गीय लिपिक को स्तंभ-3 में अंकित वर्तमान पदस्थापित कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तंभ-4 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

| क्र०सं० | कर्मि का नाम एवं पदनाम                    | वर्तमान पदस्थापित कार्यालय का नाम   | स्थानान्तरित कार्यालय का नाम    |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | 2                                         | 3                                   | 4                               |
| 1.      | श्री जितेन्द्र कुमार झा, उच्चवर्गीय लिपिक | उप श्रमायुक्त का कार्यालय, बेगूसराय | उप श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना |

- उक्त उच्चवर्गीय लिपिक का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित उच्चवर्गीय लिपिक को अविलंब विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित कर्मि अपना सभी प्रकार का प्रभार सौंप कर ही स्थानान्तरित कार्यालय में अपना योगदान देंगे। कार्यालय प्रधान स्थानीय व्यवस्था के तहत प्रभार का आदान-प्रदान सुनिश्चित करवायेंगे।
- स्थानान्तरित उच्चवर्गीय लिपिक का जुलाई-2026 का वेतन नव पदस्थापित कार्यालय से भुगतें होगा।
- संबंधित कार्यालय प्रधान को आदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक-15.07.2026 तक अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

ह०/-  
(राजेश भारती)  
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-2/ई1-40/2026 श्र०सं०- 3647

पटना, दिनांक-25/6/26

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप श्रमायुक्त, बेगूसराय/उप श्रमायुक्त, पटना एवं संबंधित स्थानान्तरित कर्मि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कार्यालय प्रधान से अनुरोध है कि स्थानान्तरित उच्चवर्गीय लिपिक को अपने स्तर से भी उक्त आदेश परिचारित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

A 25/6/26  
श्रमायुक्त, बिहार